Vol 4 Issue 10 July 2015

ISSN No : 2249-894X

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Review Of Research Journal

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Fabricio Moraes de AlmeidaFederal University of Rondonia, Brazil

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Xiaohua Yang
University of San Francisco, San Francisco

Karina Xavier
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

May Hongmei Gao
Kennesaw State University, USA

Marc Fetscherin
Rollins College, USA

Liu Chen
Beijing Foreign Studies University, China

Mabel Miao
Center for China and Globalization, China

Ruth Wolf
University Walla, Israel

Jie Hao
University of Sydney, Australia

Pei-Shan Kao Andrea
University of Essex, United Kingdom

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea
Spiru Haret University, Romania

Mahdi Moharrampour
Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran

Titus Pop
PhD, Partium Christian University, Oradea,
Romania

J. K. VIJAYAKUMAR
King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Al. I. Cuza University, Iasi

REZA KAFIPOUR
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

Nimita Khanna
Director, Isara Institute of Management, New Delhi

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

P. Malyadri
Government Degree College, Tandur, A.P.

S. D. Sindkhedkar
PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

C. D. Balaji
Panimalar Engineering College, Chennai

Bhavana vivek patole
PhD, Elphinstone college mumbai-32

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

Jayashree Patil-Dake
MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad

Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN

V.MAHALAKSHMI
Dean, Panimalar Engineering College

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University

Kanwar Dinesh Singh
Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.ror.isrj.org

Review Of Research
ISSN 2249-894X

Impact Factor : 3.140(UIF)
Volume - 4 | Issue - 10 | July - 2015

अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर पंचायत राज का प्रभाव

शीलावंती मस्करे

सारांश

"सृष्टि के आदिकाल से ही मानवीय प्रगति में महिलाओं का अमूल्य योगदान रहा है। महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मानवीय प्रगति के रथचक्र को आगे बढ़ाया है। महिलाओं के अपेक्षित विकास के बिना विकसित समाज की परिकल्पना नहीं हो सकती हैं।" अर्थात "किसी भी स्वतंत्र और विकसित समाज के निर्माण एंव विकास में स्त्री तथा पुरूष दोनों की परस्पर सहभागिता व साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। स्त्री एवं पुरूष को समाज रूपी गाडी के दो पहियों के समान माना जाता है। अतः समाज के विकास एवं निर्माण के लिए स्त्री–पुरूष की सहभागिता अनिवार्य होती है। सामाजिक विकास के लिऐ यह नैसर्गिक सिद्धांत नितांत आवश्यक है।" भारत एक पितृसत्तात्मक देश है। "पितृसत्तात्मक समाजों में पुरूष परिवार का मुखिया होता है, वंश, परम्परा तथा उत्तराधिकार पुरूषों के और स्त्रियों पुरूषों के अधीन होती हैं। अतः उनकी स्थिति पुरूषों की अपेक्षा निम्न होती है, किन्तु जनजातीय समाजों के संदर्भ में यह मान्यता भ्रमपूर्ण है, क्योंकि अनेक पितृसत्तात्मक जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों से किसी भी दशा में हीन नहीं है।"

SHORT PROFILE

Silavanti Mascara is a Researcher at Dr. B.R. Ambedakara National Institute of Social Sciences in Dr. Ambedakara Nagar (Mahu). He Has Completed Ph.D.

प्रस्तावना :

भले ही उनकी स्थिति कमोबेश पुरूषों के समान हो परंतु फिर भी जीवन के कई पक्षो में उन्हें सामाजिक व आर्थिक रूप से अपेक्षानुरूप विकास का लाभ नहीं मिला है। हालांकि परिवर्तन के अनेक कारकों जैसे वैश्वीकरण, शिक्षा प्रसार, परिवहन के साधान, तकनीकी उपलब्धाता तथा संवैधानिक प्रावधानों द्वारा उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पंचायत राज अधिनियम 1993 एक ऐसा ही उपागम है, जिसने जनजाति महिलाओं की स्थिति को सुधारने का कार्य किया है। संविधान की धारा 243 क में शामिल प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं की सीटों का एक तिहाई हिस्से को बढ़ाकर अब संविधान के भाग 9 द्वारा शामिल पंचायती राज संस्थाओं के सभी वर्गो की महिलाओं के लिए 50 फीसदी कर दिया गया है। आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, ओड़िसा राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड ऐसे राज्य है, जिन्होंने सदस्यों और सरपंचों के बीच महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान किए। दरअसल भारत के राष्ट्रपति के 4 जून 2009 को संसद के संबोधन के दौरान जाति, वर्ग व लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ हो रहे विभेद को देखते हुये पंचायतों में उनके लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का मंतव्य किया था, ताकि अधिकाधिक महिलाएं सार्वजनिक मंचों पर आए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गो के कल्याण में पंचायतों की व्यापक भूमिका हो सकती है। ऐसे वंचित वर्गो का ऐसे मंचों पर अधिकाधिक प्रतिनिधित्व होने से वे अपनी आवाज बुलंद कर सकते है। पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, जिसके बिना जमीनी लोकतंत्र की कल्पना बेमानी होगी। महिलाओं के अधिकाधिक प्रतिनिधित्व से पंचायती राज संस्थाएँ सही अर्थ में समावेशी हो सकेगी। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 27 अगस्त 2009 को पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों में महिलाओं के एक तिहाई आरक्षण को बढाकर 50 प्रतिशत करने हेतु एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश करने को मंजूरी दे दी । यह विधेयक 110 वे संशोधन विधेयक के रूप में 26 नवम्बर 2009 में पेश किया गया।

पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि पुरूष

पीएच.डी. शोधार्थी, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. आम्बेडकर नगर (महू)

संबंधियों के लिए केवल एवजी (प्राक्सी) का कार्य नहीं करती अपितु संवैधानिक तौर पर पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय में पदों पर अपने प्रभावी रूप से कार्य करनी है। वैसे आरक्षण की वजह से ग्रामीण स्तर पर काफी बदलाव हुये है, तथा राजनीतिक विकास हुआ है। आज भारत में लगभग 12 लाख से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इतना ही नहीं यदि पूरी दुनिया के निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या का आकलन किया जाये तो भी वह भारतीय निर्वाचित महिलाओं से कम है। इसे ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक क्रांति कहा जा सकती है। पंचायत स्तर पर इतनी बडी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन और उसकी चेतना तथा उसकी संस्कृति में भी परिवर्तन किया है। आश्चर्य यह है कि इन महिलाओं में सदियों से उपेक्षित दलित व आदिवासी महिलाएं भी शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पंचायतों की स्थिति रिपोर्ट वर्ष 2008–09 से पता चलता है कि वर्ष 2010 में जिला पंचायतों में महिला सदस्य का प्रतिशत 35.80 प्रतिशत था, वर्ष 2007–08 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्वाचित महिला प्रतिनधियों पर कराए गए राष्ट्रव्यापी अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि महिलाओं की अपने पुरूष संबंधियों की मात्र प्रॉक्सी होने की पहले की धारणा धीरे–धीरे समाप्त हो रही है, और यह माना जाने लगा है कि यदि महिलाओं को राजनीतिक प्रणाली में भागीदारी के अवसर प्राप्त हो तो वे भी अपने पुरूष साथी के समान समर्थ है।'' प्रस्तुत शोध पत्र ''जनजाति महिलाओं की बदलती प्रस्थिति एवं भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' (बालाघाट जिले के लांजी विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में)'' पर आधारित है।

शोध के प्राथमिक समंक मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के लाँजी विकासखण्ड के कुल पांच गाँवों में से प्रत्येक गाँव से 10–10 अनुसूचित जनजाति महिला उत्तरदाताओं से सोद्देश्यपूर्ण निदर्शन के आधार पर आंकड़े एकत्रित किये गये।

अध्ययन से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण :–

एम.फिल. शोध के अध्ययन ''अनुसूचित जनजाति महिलाओं की बदलती स्थिति एवं भूमिकाओं का समाजशासत्रीय अध्ययन'' बालाघाट जिले के विकासखण्ड लांजी के विशेष संदर्भ में के अध्ययनानुसार प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया गया है।

पंचायत राज अधिनियम 1993 के लागू होने के दो दशक पश्चात् की सभी ग्रामीण महिलाओं को आरक्षण के प्रावधान की जानकारी नहीं है। अध्ययन के दौरान यह भी देखा गया कि गांव का वातावरण आज भी महिलाओं के नेतृत्व के प्रति प्रोत्साहनपूर्वक नहीं है। कहीं न कहीं परंपरावादी एवं रूढ़िवादी व्यवस्था आज भी महिला नेतृत्व के विकास में बाधक कारक है।

तालिका क्र. 1
पंचायत राज में महिला आरक्षण के प्रावधान संबंधी जानकारी का स्तर

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	38	76
2	नहीं	12	24
	कुल योग	50	100

स्रोत : एम.फिल. लघुशोध प्रबंध (अप्रकाशित) 2008–09

तालिका क्र. 2
आरक्षण संबंधित जानकारी

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	पंचायत प्रतिनिधि	15	39.48
2	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	02	5.26
3	आंगनवाडी सहायिका	04	10.52
4	सामान्य महिलाएँ	04	44.74
	कुल योग	38	100

स्रोत : एम.फिल. लघुशोध प्रबंध (अप्रकाशित) 2008–09

प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पंचायत में 76 प्रतिशत उत्तरदाता को आरक्षण मिला है, जिसमें 39.48 प्रतिशत उत्तरदाता पंचायत प्रतिनिधि है तथा 5.26 प्रतिशत पंचायत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद है एवं 10.52 प्रतिशत उत्तरदाता आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर है। 44.74 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाएँ वर्तमान स्थिति में पंचायत के सामान्य महिलाएँ है। अतः स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में बहुसंख्यक जनजाति महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिला है।

तालिका क्र. 3
जनजाति महिलाओं का ग्राम सभा में भागदारी का स्तर

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	बहुत अच्छी	4	26.67
2	अच्छी	4	26.67
3	सामान्य	7	46.67
	कुल योग	15	100

स्रोत : एम.फिल. लघुशोध प्रबंध (अप्रकाशित) 2008–09

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनजाति महिलाओं की ग्राम सभा में भागीदारी बहुत अच्छी है। 26. 67 प्रतिशत उत्तरदाता कि स्थिति अच्छी है एवं 46.67 प्रतिशत कि स्थिति सामान्य। अतः 46.67 प्रतिशत बहुसंख्या उत्तरदाता की स्थिति सामान्य है।

तालिका क्र. 4
पंचायत राज संस्थाओं में आरक्षण प्राप्त होने से महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति में बदलाव संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	हाँ	29	76.32
2	नहीं	09	23.68
	कुल योग	38	100

स्रोत : एम.फिल. लघुशोध प्रबंध (अप्रकाशित) 2008–09

तालिका क्र. 5
बदलाव का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1	शिक्षा का उच्च स्तर	13	44.32
2	जीवन स्तर में सुधार	06	20.69
3	प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि	07	24.13
4	अन्य	03	10.35
	कुल योग	29	100

स्रोत : एम.फिल. लघुशोध प्रबंध (अप्रकाशित 2008–09)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 76.32 प्रतिशत जनजातीय महिला उत्तरदाता आरक्षण मिलने से सामाजिक–आर्थिक स्थिति में बदलाव मानते है, जिसके क्षेत्र इस प्रकार है। तालिका 5 के अनुसार 44.32 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि आरक्षण मिलने से शिक्षा का स्तर उच्च हुआ है। 20.69 प्रतिशत उत्तरदाता जीवन स्तर में सुधार मानते है तथा 24.13 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। 10.35 प्रतिशत उत्तरदाता का कहना है कि जीवन के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में विशेष बदलाव आया है। सर्वाधिक 44.32 प्रतिशत उत्तरदाता का मानना है कि शिक्षा का स्तर उच्च हुआ है। किन्तु 23.68 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि आरक्षण मिलने से उनकी स्थिति में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है।

निष्कर्ष :–

उपर्युक्त प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर पंचायत राज का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे उनमें काफी बदलाव आया है। आत्मविश्वास बढ़ा है, किन्तु फिर भी वे अपनी छवि बहुत बदली हुई नहीं मानती क्योंकि परिवार में उनकी स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु पंचायत में आने के बाद कुछ सक्षम हुई है। क्योंकि घर की जिम्मेदारियों के अलावा भी कार्य कर सकती है, जिससे समाज, समुदाय, का उनके प्रति नजरिया बदल रहा है। जहाँ–जहाँ अनुसूचित जनजाति महिला प्रतिनिधियों को संगठित करने एवं प्रशिक्षण करने के प्रयास हुए हैं वहां इन प्रतिनिधियों की भागीदारी का स्तर और गुणवत्ता दोनों तुलनात्मक रूप से अच्छे हैं। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में ग्रामीण सत्ता अभी तक मुख्य रूप से पुरूषों और उच्च जातियों के हाथों में थी, किन्तु वर्तमान में नई पंचायत राज संस्थाओं में पहली बार महिलाओं के आरक्षण के कारण उन्हें ग्रामीण क्षेत्र पंचायतों में मौका मिला है और भागीदारी बढ़ी है। परंतु आज भी पुरूष प्रधान मानसिकता महिला नेतृत्व विकास में बाधा डालती है। अक्सर यह देखा गया है कि महिलाएं पंचायत के कई पदों पर चुनकर आती है, किन्तु उनके पति या परिवार के अन्य सदस्य कार्य करते है तथा वे केवल नाममात्र की प्रतिनिधि होती है। महिलाओं की पंचायत राज संस्थाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से आवश्यक है, कि पंचायत राज की कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाये, जिससे वे कार्य पद्धति को समझ सके और अपने अधिकार एवं दायित्वों का सही रूप से निर्वहन कर सके।

सुझाव :–

1.पंचायत राज संस्थाओं में जनजाति महिलाओं को कार्य एवं दायित्व संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे

पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित कार्य को सही रूप से कर सके।

2.जनजातीय महिलाओं के लिए पंचातय राज संस्थाओं द्वारा जनजागरूकता कार्यक्रम चलाये जाना चाहिए ताकि वे अपने अधिकार एवं शक्तियों को पहचाने एवं उसका उपयोग कर सके।

3.महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के लिये पुरूषों को महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

4.ग्राम पंचायत में जनजातीय महिलाओं को आरक्षण से सम्बन्धित जानकारी सही रूप से दी जानी चाहिए ताकि वे आरक्षण का लाभ ले सके।

5.पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को वेतन एवं भत्ता दिया जाना चाहिए ताकि वे पंचायत के कार्यों को लगन से कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1.मौर्य चेतना (2000) ''वॉयस ऑफ बुद्धा, रामराज द्वारा बुद्धा एज्युकेशन फाउंडेशन लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली,

2.खत्री, हरीश कुमार (2012) ''मानवाधिकार'' कैलाश पुस्तक सदन भोपाल,

3.मस्करे, शिलावंती (2008–09) ''अनुसूचित जनजाति महिलाओं की बदलती प्रस्थिति एवं भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' बालाघाट जिले के लाँजी विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में, अप्रकाशित एम.फिल. लघुशोध प्रबंध, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू

4. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल सितम्बर 2012,

5.मस्करे, शिलावंती (2008–09) ''अनुसूचित जनजाति महिलाओं की बदलती प्रस्थिति एवं भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' बालाघाट जिले के लाँजी विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में, अप्रकाशित एम.फिल. लघुशोध प्रबंध, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू

6.मस्करे, शिलावंती (2008–09) ''अनुसूचित जनजाति महिलाओं की बदलती प्रस्थिति एवं भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' बालाघाट जिले के लाँजी विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में, अप्रकाशित एम.फिल. लघुशोध प्रबंध, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू

7.मस्करे, शिलावंती (2008–09) ''अनुसूचित जनजाति महिलाओं की बदलती प्रस्थिति एवं भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन'' बालाघाट जिले के लाँजी विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में, अप्रकाशित एम.फिल. लघुशोध प्रबंध, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, महू

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- Directory Of Research Journal Indexing
- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.ror.isrj.org